न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर जिला—सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 65 / 2019 रा.वा.

जी.सी.एम.एस.नम्बर—2019 / 00712

उनवान

1. श्री गांगा पिता खेमाजी मीणा उम्र बालिग
2. श्री भेरिया पिता खेमाजी मीणा उम्र बालिग
3. नाथी पुत्री किकिया मीणा उम्र बालिग
4. रतनी पुत्री किकिया मीणा उम्र बालिग
5. रोडकी पुत्री किकिया मीणा उम्र
6. श्री वागाराम पिता किकिया मीणा उम्र बालिग
7. श्री शंकर पिता किकिया मीणा उम्र बालिग

सभी निवासी धावडा, पोस्ट कल्याणाकला हाल तहसील झल्लारा जिला सलूम्बर (राज.)।

—वादीगण

विरूद्ध

1. केसु पुत्री हीरा मीणा उम्र बालिग
2. कालु पिता चोखा मीणा उम्र बालिग
3. दलिया पिता हरजी मीणा उम्र बालिग
4. देवजी पिता चोखा मीणा उम्र बालिग
5. धनकी पत्नि हिरा मीणा उम्र बालिग
6. मानकी पत्नि हरजी मीणा उम्र बालिग
7. राया पिता वक्ता भीणा उम्र बालिग
8. कोदरा पिता वक्ता मीणा उम्र बालिग
9. थावरा पिता वक्ता मीणा उम्र बालिग
10. वालिया पिता हरजी मीणा उम्र बालिग

सभी निवासी धावडा, पोस्ट कल्याणाकंला हाल तहसील झल्लारा जिला सलूम्बर (राज.)।

11. भूमिधारी तहसीलदार हाल तहसील झल्लारा, जिला सलूम्बर (राज.)।

—प्रतिवादीगण

सहायक कलेक्टर सलूम्बर, जिला सलूम्बर (राज.)

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—::निर्णय::—

दिनांकः— 06/01/2026

उपस्थितिः श्री जितेन्द्र वैष्णव अधिवक्ता — वादीगण
प्रतिवादीगण— एक पक्षीय

वादी ने वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया। वादीगण का वाद संक्षिप्त मे निम्न प्रकार है कि मौजा धावडा पटवार क्षेत्र घटेड भू.अ.नि. क्षेत्र कल्याणाकंला पुरानी तहसील सलूम्बर हाल तहसील झल्लारा में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात स्थित हैं

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

जिसकी खाता संख्या 56 आराजी नम्बर 767 / 0.04, 843 / 0.07, 845 / 0.05, 846 / 0.04, 848 / 0.07 कुल किता 05 कुल रकबा 0.27 हैक्टेयर है।

उक्त वर्णित आराजीयात वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित पैतृक मौरूसी सम्पत्ति है जिस पर वादी केसु पुत्री हीरा का 1 / 0 हिस्सा, कालु पुत्र चोखा 1 / 10 हिस्सा, गांगा पुत्र खेमा 1 / 8 हिस्सा, दलीया पुत्र हरजी 1 / 30 हिस्सा, देवजी पुत्र चोखा 1 / 10 हिस्सा, धनकी पत्नि हीरा 1 / 20 हिस्सा, नाथु पुत्र खेमा 1 / 8 हिस्सा, नाथी पुत्री किकिया 1 / 40 हिस्सा, भेरीया पुत्र खेमा 1 / 8 हिस्सा, मानकी पत्नि हरजी 1 / 30 हिस्सा, रतनी पुत्री किकिया 1 / 40 हिस्सा, रोडकी पत्नि किकिया 1 / 40 हिस्सा, वगता पुत्र चोखा 1 / 10 हिस्सा, वगाराम पुत्र किकिया 1 / 40 हिस्सा, वालीया पुत्र हरजी 1 / 30 हिस्सा, शंकर पुत्र किकिया 1 / 40 हिस्सा, हक, अधिकार, आधिपत्य होकर संयुक्त कब्जे, काश्त मे चली आ रही है, ओर मौके पर भी इसी हिस्से अनुसार काबिज हो काश्त कर पैदावार लेते चले आ रहे है।

राजस्व रिकॉर्ड में भूमि संयुक्त दर्ज होने के कारण लगान जमा कराने, ऋण लेने एवं भूमि विकास संबंधी कार्यों में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। आज दिनांक तक पक्षकारों के मध्य भूमि का कोई विधिक बंटवारा नहीं हुआ है, जबकि सभी खातेदार अलग–अलग निवास करते हैं। वर्तमान में विधिक विभाजन न होने से आपसी विवाद बना रहता है तथा प्रतिवादीगण द्वारा बिना बंटवारे के भूमि विक्रय करने की धमकियाँ दी जा रही हैं, जिससे वादीगण के अधिकारों को क्षति पहुँचने की आशंका है। वादीगण ने भूमि को अपनी मेहनत व लागत से उपजाऊ बनाया है। यदि बिना बंटवारे के भूमि का हस्तांतरण किया गया तो भविष्य में विधिक विभाजन जटिल हो जाएगा। वाद हेतुक 20–11–2019 से उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादीगण ने भूमि में अनाधिकृत प्रवेश कर झगड़ा–फसाद किया तथा विक्रय की धमकी दी, जो निरंतर जारी है। अतः वादीगण ने न्यायालय से प्रार्थना की है कि वादग्रस्त कृषि भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य उनके–उनके हिस्सों के अनुसार विधिक बंटवारा कराया जाए, पृथक–पृथक खाते दर्ज कर स्वतंत्र कब्जा व आधिपत्य दिलाया जाए, बिना बंटवारे के भूमि के हस्तांतरण पर रोक लगाई जाए तथा वाद व्यय वादीगण को दिलाया जाए।

वादपत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलबी हेतु वादपत्र की प्रति के साथ सम्मन जारी किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 10 तक की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश मीणा ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादीगण को जवाब पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये गये परन्तु प्रतिवादीगण ने जवाब दावा पेश नही किया। आदेशिका दिनांक 27–05–2024 को प्रतिवादीगण मय अधिवक्ता के गैर–हाजिर रहने से प्रतिवादीगण के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई व प्रकरण एकतरफा रूप से चलाया गया एवं पत्रावली साक्ष्यवादी हेतु नियत की गई। साक्ष्यवादी हेतु समूचीत अवसर दिये जाने के उपरान्त भी साक्ष्यवादी पेश नही करने से आदेशिका दिनांक 23–12–2025 को पत्रावली मे साक्ष्यवादी बन्द की गई एवं पत्रावली मे वादीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

अधिवक्ता वादीगण ने बहस मे अपने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए वादग्रस्त कृषि भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य उनके–उनके हिस्सों के अनुसार विधिक बंटवारा कराया जाए, पृथक–पृथक खाते दर्ज किये जाने निवेदन किया एवं प्रकरण मे बंटवाडे की डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया।

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

बहस मनन की गई। तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रतिवादीगण अनुपस्थिति के कारण प्रकरण एकतरफा रूप से चलाया गया। वादी द्वारा किए गए दावे पांती बंटवाड़ा तथा स्थायी निषेधाज्ञा से संबंधित हैं। वादी को अपने दावों के समर्थन में दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त एवं अनेक अवसर प्रदान किए गए, किन्तु वादी द्वारा कोई भी गवाह प्रस्तुत नहीं किया गया तथा कोई भी दस्तावेज विधिवत् प्रदर्शित नहीं कराया गया। परिणामस्वरूप न्यायालय द्वारा वादी की साक्ष्य बंद की गई।

पत्रावली पर प्रस्तुत की गई राजस्व जमाबंदी मे वाद वर्णित भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की होकर नाम दर्ज अंकित है, केवल रिकॉर्ड पर है तथा प्रदर्शित न होने से वह सिद्ध साक्ष्य नहीं मानी जा सकती। प्रतिवादीगण के एक पक्षीय रहने मात्र से वादी के कथन स्वतः सिद्ध नहीं होते। कानूनन वादी पर अपने दावों को सिद्ध करने का भार बना रहता है, जिसे वह निर्वहन करने में असफल रहा। अतः साक्ष्य के पूर्ण अभाव में वादी द्वारा किए गए समस्त दावे विधि अनुसार सिद्ध नहीं होते। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित नही समझता है। उक्त वाद मे वादीगण को कोई सकारात्मक राहत प्रदान नहीं की गई है, इसलिए पृथक डिक्री तैयार किया जाना आवश्यक नहीं है।

–::आदेश::–

अतः वादी का वाद बाबत् पांती बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का निरस्त किया जाता है।

पत्रावली फेसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर सलूम्बर • सलूम्बर, जिला-सलूम्बर (राज.) •

(जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर
जिला–सलूम्बर

सहायक कलेक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर